

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22.12.2021

प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री बलवन्तसिंह चौधरी उपस्थित। अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

तहसीलदार गुडामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा पादरडी के खसरा नंबर 135 में से रकबा 30 बीघा भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर बिना कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत रेकॉर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा पादरडी में अवस्थित भूमि खसरा नं. 135 रकबा 62-07 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां हैं, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी. बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आलौच्य आवंटन से सम्बन्धित विवादित भूमि संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 के प्रथम बंदोबस्त के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज हुई है। तहसीलदार गुडामालानी ने इस संबंध में कोई जांच नहीं कर बिना कोई रिकॉर्ड, कानून के प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। जहां तक अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिकथन कि प्रश्नगत भूमि उसके पूर्वजों के समय से आवंटन अनुसार कब्जा काश्त की है तथा मौके पर भूमि काश्त योग्य है, यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं क्रमतर नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 01.06.1968 को ग्राम पादरडी के खसरा नं. 135/3 रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात् प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को सुनाया गया।

lon  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर